

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 6414/4719/18/2002.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन जगदलपुर में नगरपालिक निगम जगदलपुर के गठन के परिणामस्वरूप, राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1) के अनुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर को प्रशासक नियुक्त करता है.

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION

No. 6414/4719/18/2002.—As a consequence of constitution of Municipal Corporation Jagdalpur at Jagdalpur under Section 7 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, as per Section 5 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 hereby, appoints Collector, Bastar as Administrator, with immediate effect till further orders.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.